18

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
{उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम}
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
CIN : U31901UP1985SGC007135

UPRVUNL

संख्या : 2097 / मा0सं0(04) / 2024–108 / मा0सं0(04) / 2005(टी0सी0 | | |-B) दिनांक : 25/11/2024

कार्यालय ज्ञाप

Kamla Hospital, Opposite Maharani Laxmi Bai Medical College, Kanpur Road, Jhansi (U.P.) द्वारा सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरों पर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में सेवारत / सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भर्ती / बाह्य रोगी के रूप में उपचार कराये जाने हेतु, प्रदान की गई सहमति के क्रम में एतद्द्वारा Kamla Hospital, Jhansi को सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरों पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में निम्नवत् प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गमन की तिथि से 02 वर्ष तक तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान की जाती है:–

1. चिकित्सालय द्वारा निगम के कार्मिकों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क / चार्ज वसूल नहीं किया जायेगा।
2. चिकित्सालय को जिले के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र, यदि निगम द्वारा मान्यता प्रदान की गई अवधि में समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा जिले के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण–पत्र तत्काल निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. साथ ही चिकित्सालय द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र की अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि पंजीयन प्रमाण–पत्र नवीनीकृत नहीं कराया जाता है अथवा नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण–पत्र निगम मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा चिकित्सालय का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. चिकित्सालय परिसर में एक साईन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय।"** दर्शाना अनिवार्य होगा।
5. चिकित्सालय को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक रजिस्टर पृथक रूप से रखना होगा एवं निम्नवत् सूचना पारीछा परियोजना प्रशासन को प्रत्येक 15 दिनों में भेजनी होगी:–
   - (क) रोगी का नाम / पदनाम / वेतनमान / नियुक्ति स्थान / आयु एवं लिंग।
   - (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
   - (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
   - (घ) कार्मिक का वेतनमान।
   - (ङ) रोग का नाम (डायग्नोसिस)।
   - (च) कुल चार्ज की गई धनराशि।

→

****

6. चिकित्सालय द्वारा सी0जी0एच0एस0–2014 द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि चार्ज किये जाने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
7. चिकित्सालय को न्यायालय अथवा कन्ज्यूमर फोरम द्वारा दण्डित किये जाने अथवा चिकित्सालय द्वारा असहयोग/लापरवाही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
8. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही निगम के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के चिकित्सालय का भौतिक निरीक्षण भी किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः 2097 /मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2024 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टॉफ ऑफीसर/निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I), पी0पी0एम0एम0/तापीय परियालन, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।
6. महाप्रबन्धक (मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–II)/जानपद नवपरियोजनाएँ/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन), जल विद्युत स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रगति, उ0प्र0रा0 विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46वीं, समाज कल्याण बिल्डिंग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. उपमहाप्रबन्धक मा0सं0–02/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

→

****

12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य लेखाधिकारी/उप–मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।
14. Chairman, Kamla Hospital, Opposite Maharani Laxmi Bai Medical College, Kanpur Road, Jhansi, Uttar Pradesh (284128).
15. कट् फाइल।

आज्ञा से,

23/12/2024
(प्रवीण कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

****